राजस्थान उच्च न्यायालय का NTA को नोटिस

चर्चा में क्यों?

राजस्थान उच्च न्यायालय ने कथित अनियमितताओं के कारण **मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG** को रद्द करने के अनुरोध पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency- NTA) और केंद्र को नोटिस जारी किये।

मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (National Eligibility and Entrance Test- NEET) स्नातक परीक्षा के **पेपर लीक** का मामला बढ़ गया है, जिसके कारण **दोबारा परीक्षा कराने** और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) से जाँच कराने की मांग को लेकर विरोध **प्रदर्शन** हो रहे हैं।
- राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुनवाई की तिथि 10 जुलाई, 2024 तय की है, जिसके दो दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय में **इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है,** जिनमें NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने और न्यायालय की निगरानी में जाँच की मांग करने वाली याचिकाएँ भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

- **परिचय:**
  - **राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency- NTA)** की स्थापना भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी के रूप में की गई थी।
  - यह उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिये प्रवेश **परीक्षा आयोजित करने वाला एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन** है।
- **शासन व्यवस्था:**
  - NTA की अध्यक्षता **मानव संसाधन विकास मंत्रालय** द्वारा नियुक्त प्रख्यात शिक्षाविद करते हैं।
  - **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer- CEO)** महानिदेशक होंगे जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।
  - इसमें एक **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स** होगा जिसमें उपयोगकर्त्ता संस्थानों के सदस्य शामिल होंगे।

नीट- यूजी (NEET-UG)

- **राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) या NEET,** जिसे पहले **ऑल इंडियन प्री-मेडिकल टेस्ट** कहा जाता था, भारत में स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों **(MBBS और BDS पाठ्यक्रम)** में प्रवेश के लिये एक प्रवेश परीक्षा है।
- इसका **संचालन NTA द्वारा किया जाता है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-high-court-notice-to-nta